

न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड
जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आप. प्र.कं. 1008 / 2017

आर.सी.टी.नं. 278 / 2017

संस्थित दिनांक 27.11.2017

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द, ठीकरी
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

सखाराम पिता झेतु उर्फ जेतु भील,
उम्र 40 वर्ष, निवासी बघाडी
जामनियापुरा, जिला बड़वानी

-----अभियुक्त

राज्य तर्फ एडीपीओ

— श्री अकरम मंसूरी ।

अभियुक्त तर्फ अभिभाषक

— श्री संजय गुप्ता ।

// निर्णय //

(आज दिनांक 01.06.2018 को घोषित)

अभियुक्त पर धारा 294,,324,506(बी) भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि, उसने दिनांक 19.11.2017 को रात्रि 08:00 बजे, बघाडी जामनियापुरा ठीकरी में सार्वजनिक स्थान पर या उसके पास फरियादी राजेश को मां बहन की अश्लील गालिया देने, फरियादी को धारदार वस्तु पत्थर से उपहति कारित करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

2. अभियुक्त व फरियादी राजेश के मध्य अंतर्गत धारा 294, 506 भाग-2 भा.द.सं. में राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को उक्त धाराओं के अंतर्गत दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा.द.सं. में विचारण जारी रखा गया।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि,दिनांक 19.11.2017 को फरियादी राजेश ने थाना ठीकरी पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह आज घर के बाहर बैठा था तथा आज से एक वर्ष पूर्व हरपाल भाई की

लडकी भाग गई थी इसी बात को लेकर अभियुक्त आया व उसे मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगा उसने गालियां देने से मना किया तो आरोपी ने पत्थर उठाकर मारा जो उसे बांयी तरफ आंख के पास लगा और खून निकलने लगा आरोपी ने बोला कि आईन्दा किसी दिन जान से खत्म कर देंगा। घटना दयाराम ने देखी व बीच बचाव किया है। वह थाना आकर रिपोर्ट करता है। उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रं० 339/2017 का दर्ज कर, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये हैं, आहत् का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया, तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4. अभियोग पत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 324, 506(बी) भा०द०सं० के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं०प्र०सं० के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फसाया जाना व्यक्त किया है, तथा बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि –

1. क्या आपने दिनांक 19.11.2017 को रात्रि 08:00 बजे, बघाडी जामनियापुरा ठीकरी में फरियादी को धारदार वस्तु पत्थर से उपहति कारित की ?

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में राजेश (अ.सा.1) के कथन कराये गये हैं। अभियोजन द्वारा फरियादी/आहत् स्वयं के द्वारा घटना व अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है जिस कारण अन्य कोई साक्षीगण के कथन नहीं कराये हैं। जबकि अभियुक्त की ओर उनकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

7. इस संबंध में विचार करने पर फरियादी राजेश (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया है कि, वह अभियुक्त को जानता है, जो रिश्ते में उसका भाई लगता है। घटना वाले दिन वह घर के बाहर बैठा हुआ था तब आरोपी और उसके बीच शराब पीने की बात को लेकर विवाद हुआ था तथा उसका पैर फिसलने से वह जमीन पर गिर गया था, जिससे उसकी आंख के पास जमीन पर पड़ा हुआ नुकीला पत्थर लग गया था, जिससे उसे आंख के पास चोट आयी थी, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1

उसने पुलिस थाना ठीकरी पर की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को प्रदर्श पी 2 का घटना स्थल बताया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन ने उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न किये जाने की अनुमति चाही गयी है। जिसे न्यायालय द्वारा विचार उपरांत प्रदान की गयी। प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर उक्त साक्षी ने इंकार किया है कि अभियुक्त ने नुकीला पत्थर उठाकर मार दिया था जो उसकी बांयी आंख के पास लगा था। साक्षी ने इंकार किया है कि उसने उसकी प्रदर्श पी 1 के बी से बी भाग पर अभियुक्त द्वारा बांयी आंख के पास पत्थर उठाकर मार देने वाली बात बताई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है, किन्तु अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि राजीनामा हो जाने के कारण वह घटना के संबंध में सही बात नहीं बता रहा है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने कुछ कोरे कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवा लिये थे तथा पुलिस ने प्रदर्श पी 1 पढ़कर नहीं बताया था।

9. यह सही है कि, प्रकरण में फरियादी/आहत् राजेश (अ.सा.1) ने अभियुक्त के साथ राजीनामा कर लिया है और यही कारण है कि, वह न्यायालय के समक्ष अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं कर रहा है, चूंकि फरियादी, ने आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं जिस कारण अभियोजन द्वारा भी अन्य कोई साक्षीगण के कथन नहीं कराये हैं। अतः फरियादी/आहत् राजेश(अ.सा.1) द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने के कारण अभियुक्त दोषमुक्ती का पात्र हो गया है। अतः अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि, घटना दिनांक 19.11.2017 को रात्रि 08:00 बजे, बघाडी जामनियापुरा ठीकरी में फरियादी को धारदार वस्तु पत्थर से उपहति कारित की।

10. अतः न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्धि नहीं पाते हुये। धारा 324 भा.द. सं. के अपराध से दोषमुक्त करता है।

11. अभियुक्त के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा एक धारदार नुकीला पत्थर मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

आप. प्र.कं. 1008 / 2017
आर.सी.टी.नं. 278 / 2017
संस्थित दिनांक 27.11.2017

14. अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के संबंध में धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही / -

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रे, प्रथम श्रेणी,
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

सही / -

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रे, प्रथम श्रेणी,
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.